43

III/निग०/सीधी/2017/4159

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म०प्र०

Rs.301/-

सुखेन्द्र सिंह पिता श्री बासुदेव सिंह निवासी ग्राम कोष्टा तहसील चुरहट जिला सीधी (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. अजमेर सिंह पिता जगमोहन सिंह निवासी कोष्टा कोठार तहसील चुरहट जिला रीवा (म0प्र0)

--गैर निगरानीकर्तागण

अधि० श्री सुरेश प्रसाद द्वारा पेश 2-11-2017

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 27.09.17 जो न्यायालय श्रीमान् <u>अपर आयुक्त</u> महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2016-17 मे पारित किया गया।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.</u>

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.17 विधि प्रक्रिया के विपरीत एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण के निराकरण करने मे न्यायिक विवेक का बिना उपयोग किए अपने आदेश मे मात्र यह उल्लेख करके कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत समुचित परीक्षणोंपरांत आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखने योग्य प्रतीत होता है, किन्तु

सुरेन्द्र सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/4159

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 46/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया है। वाद विचारित भूमि पर आवेदक के पिता के जमाने से मकान बना है पिता के मरने के वाद निगरानीकर्ता परिवार के साथ मकान में रहता आया है जिसके कारण संहिता की धारा 248 प्रभावी नहीं है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने भी इस पर गौर नहीं किया हे इसलिये निगरानी ग्राह्य कर सुनवाई की जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक यह स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसका मकान ग्राम कोष्ठा कोठार की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 837 के अंश भाग पर बना है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 इस प्रकार है :– धारा–248 – अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति – कोई भी व्यक्ति जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि आबादी, सेवा भूमि या किसी अन्य भूमि पर जो धारा 237 के	

अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिये प्रथक रखी गई हो (या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी, नियमित निकाय की संपत्ति हो) कब्जा कर लेता है या उस पर कब्जा बनाए रखता है तहसीलदार के आदेश व्दारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर जैसाकि तहसीलदार नियत करे , उसके व्दारा नहीं हटाया जाता है, तो तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जाएगा। ''

ग्राम कोष्ठा कोठार की भूमि सर्वे नंबर 837 शासकीय है जिस पर अतिक्रमण पाये जाने से तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 68/16–17 में पारित आदेश दिनांक 11–11–16 से अवैध अतिक्रमण स्वरूप अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दिये है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 43/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–8–17 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 27–9–2017 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

अदस्य